डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2015/7625 दिनांक : 28.9 , 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज,
फैजाबाद रोड, गदिया, बाराबंकी।

विषय : संस्थान मे एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में कुलपति महोदय के आदेशों के अनुपालन में **मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, फैजाबाद रोड, गदिया, बाराबंकी** को स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में 150 सीटों स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2014–15 हेतु संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

1. महाविद्यालय/संस्था इंगित कमियों यथा–महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति, प्राचार्य एवं याचित विषयों के प्रवक्ता विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा। विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराकर प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर कार्यभार ग्रहण कराकर, नियुक्ति पत्र/कार्यभार ग्रहण करने का पत्र एवं अनुबन्ध पत्र की एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
2. संस्था इण्डियन मेडिकल काउन्सिल के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तो को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेंगी ।
3. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में इण्डियन मेडिकल काउन्सिल/शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था इण्डियन मेडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवश के उपरान्त की करायी जायेगी।
6. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अन्य आदेशों एवं सुसंगत शासनादेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. शासनादेश के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
8. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हे विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।
2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव